[2020] 4 एस. सी. आर 944

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 4 एस सी आर।

ए.

आरिफ़ाबेन यूनुसभाई पटेल और ओआरएस।

बनाम

मुकुल थाकोरभाई अमीन और ओआरएस। (2020 की सिविल अपील संख्या 1643-1644) 17 मार्च, 2020

बी.

[एल**.** नागेश्वर राव और दीपाक गुप्ता**,** जेजे।**]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। XXI,आर. 90-सीमा अधिनियम, 1963 -तृतीय प्रभाग की धारा 14 और अनुच्छेद 127, भाग-I-उत्तरदाताओं द्वारा यू/या दायर की गई आपत्तियाँ। XXI,आर. 90 समय के भीतर दाखिल किया गया था या नहीं-प्रत्यर्थी नं.3 प्रत्यर्थी सं. से ऋण प्राप्त किया। 2-सहकारी बैंक और ऋण चुकाने में विफल रहा-उत्तरदाता सं। 2 ने प्रत्यर्थी सं. 2 से देय राशि की वसूली के लिए संक्षिप्त कार्यवाही दायर की।1 और 3-डिक्री प्रत्यर्थी सं. के पक्ष में पारित की गई थी। 2 और प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. के विरुद्ध। 1 और 3-उत्तरदाता सं। 2 डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन दायर किया गया-न्यायालय ने उक्त आवेदन की अनुमति दी और न्यायालय के रिसीवर को कुर्क की गई संपत्तियों को बेचने की अनुमति दी गई-संपत्तियों की नीलामी में, अपीलार्थी सबसे अधिक बोली लगाने वाला था और निष्पादन न्यायालय ने बिक्री की अनुमति दी-प्रत्यर्थी नं।3 आपत्तियाँ दर्ज करने के लिए समय मांगा-आपत्तियाँ दर्ज करने के बजाय, प्रत्यर्थी नं।1 संपत्तियों की बिक्री को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की-निष्पादन न्यायालय ने अपीलार्थियों के पक्ष में एक बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया-उच्च न्यायालय के समक्ष, प्रत्यर्थी नं।1 यह कि एक खरीदार अधिक कीमत पर संपत्ति खरीदने के लिए तैयार है, उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दी-अपीलार्थियों ने एक लेटर्स पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के उक्त आदेश पर रोक लगा दी गई-पीड़ित, प्रत्यर्थी नं।1 विशेष अनुमति याचिका दायर की-इस बीच, प्रत्यर्थी नं। 2 ने निष्पादन न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया था कि वह संपत्तियों की बिक्री को अधिकृत नहीं करता है-प्रत्यर्थी सं।2 आवेदन, प्रत्यर्थी सं।1 21.04.2008 पर एस. एल. पी. वापस लेने का बयान दिया और यू/ओर में आपत्ति आवेदन दायर किया। XXI,आर. 20.06.2008 पर सी. पी. सी. का 90-प्रत्यर्थी सं.1 तर्क दिया कि रिट याचिका को 17.07.2008 पर खारिज कर दिया गया था और निष्पादन याचिका पर आपत्तियां 20.06.2008 पर दायर की गई थीं और

यह सीमा के भीतर थी-आयोजितःप्रत्यर्थी का प्रस्ताव सं।1 स्वीकार नहीं किया जा सकता-कोई भी व्यक्ति जो एस के लाभ का दावा करता है।14 सीमा अधिनियम केवल समय के अपवर्जन का दावा कर सकता है

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

944 ए.

945

आरिफ़ाबेन यूनुसभाई पटेल और ओआरएस. वी.मुकुल थाकोरभाई अमीन और ओआरएस।

वह अवधि जिसके लिए वह उचित परिश्रम और सद्भावना के साथ किसी अन्य उपाय पर मुकदमा चला रहा था-रिट याचिका सद्भावना या उचित परिश्रम से दायर नहीं की गई थी क्योंकि प्रत्यर्थी नहीं। 3 ने एक बयान दिया था कि वह निष्पादन याचिका पर आपत्तियां दायर करेगा-हालाँकि, यह मानते हुए कि ये कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 21.4.2008 पर एक बयान दिए जाने के बाद सद्भावना से दायर की गई थी, प्रत्यर्थी नं।1 निष्पादन न्यायालय के समक्ष तुरंत आवेदन दायर किया जाना चाहिए था-उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रखने के बारे में न तो सद्भावना से कहा जा सकता है और न ही उचित परिश्रम से कहा जा सकता है-यहां तक कि आदेश पारित होने के सभी दिनों का लाभ देकर भी प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. 1 और 3 को यू/या आवेदन दाखिल करने के लिए सीमा द्वारा वर्जित किया जाएगा। XXI,आर. सी. पी. सी. की धारा 90 6 दिनों तक-चूंकि इस तरह की देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए याचिकाओं को समय-बाधित होने के कारण खारिज कर दिया जाता है।

बी.

सी.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

डी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है**,** आर**-1** द्वारा यह भी विवादित नहीं है कि उसे एफ या आर**-3** में उपस्थित मुर्गी के वकील पर बिक्री के बारे में जानकारी थी**,** जिसने सीपीसी के आदेश **XXI** नियम **90** के तहत आपत्ति आवेदन दायर करने की अनुमति मांगी थी। रिट याचिका **26.12.2007** पर दायर की गई थी। **21.04.2008** पर**,** आर**-1** ने इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी को इस आधार पर वापस ले लिया कि आर**-2** द्वारा **18.03.2008** पर निष्पादन न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है।रिट याचिका को ही **17.07.2008** पर खारिज कर दिया गया था।आर**-1** की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि चूंकि रिट याचिका का निपटारा **17.07.2008** पर किया गया था और निष्पादन याचिका पर आपत्ति **20.06.2008** पर दायर की गई थी**,** इसलिए यह सीमा के भीतर है।**[**पैरा **11] [952-**एफ**-**जी**]**

ई.

एफ.

2. यह न्यायालय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ है।अधिनियम की धारा **14** के लाभ का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति केवल उस अवधि के अपवर्जन का दावा कर सकता है जिसके लिए वह उचित परिश्रम और सद्भावना के साथ किसी अन्य उपाय पर मुकदमा चला रहा था।इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह विचार है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि रिट याचिका सद्भावना से या उचित परिश्रम से दायर की गई थी क्योंकि वकील एफ या आर**-3** ने एक बयान दिया था कि वह निष्पादन याचिका पर आपत्तियां दायर करेगा।हालाँकि**,** यह मानते हुए कि ये कार्यवाही सद्भावना से दायर की गई थी**,** इस न्यायालय के समक्ष **21.04.2008** पर एक बयान दिए जाने के बाद**,**

जी.

एच.

ए.

आर**-1** को तुरंत निष्पादन न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करना चाहिए था।उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रखने के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह न तो सद्भावना से किया गया था और न ही उचित परिश्रम के साथ किया गया था।**[**पैरा **12] [952-**एच**; 953-**ए**-**बी**]3.** भले ही यह न्यायालय आर**-1** के मामले को स्वीकार करता है**,** सबसे अच्छा**,** **26.12.2007** से **21.04.2008** तक की अवधि को बाहर रखा जा सकता है।यदि यह न्यायालय उस अवधि को बाहर करता है तो दिसंबर में **7** दिन**,** अप्रैल में **9** दिन**,** मई में **31** दिन और जून में **19** दिन होते हैं।इस प्रकार**,** आदेश पारित होने के सभी दिनों का लाभ देने से आर**-1** और आर**-3** को भी सी**.** पी**.** सी**.** के आदेश **XXI** नियम **90** के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए **6** दिनों तक की सीमा से रोक दिया जाएगा।चूंकि इस तरह की देरी को

माफ करने की कोई शक्ति नहीं है**,** इसलिए याचिकाओं को समय की पाबंदी के कारण खारिज करना पड़ा।इसलिए**,** इस छोटे से आधार पर अपीलों की अनुमति दी जानी चाहिए।**[**पैरा **13] [953-**सी**-**डी**]**

बी.

सी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील संख्या 1643-1644।

डी.

2010 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 3166 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 07.11.2012 और 08.11.2012 के निर्णय और आदेशों से।

के साथ

ई.

2020 की सिविल अपील संख्या 1647 और याचिका (सिविल) 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 1643-1644 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 63/2020।

के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता, ऋषभ संचेती, सुश्री पद्म प्रिया, अंचित भंडारी, सुयश रावत, के. परी वेंधन, R.Venkataraman, निकलेश रामचंद्रन, सुश्री शीतल उपाध्याय, नवदीप जैन, निखिल गोयल, सुश्री नवीन गोयल, दुष्यंत सरना, विनय मैथ्यू, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जी.

दीपाक गुप्ता**,** जे।

1. मेसर्स अभिलाषा कंस्ट्रक्शन, प्रत्यर्थी संख्या 3 (इसके बाद आर-3 के रूप में संदर्भित) ने श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑप बैंक लिमिटेड, प्रत्यर्थी संख्या 2 (इसके बाद आर-2 के रूप में संदर्भित) से ऋण प्राप्त किया, लेकिन ऋण चुकाने में विफल रहे और आर-2 ने आर-3 से इसकी देय राशि की वसूली के लिए संक्षिप्त कार्यवाही दायर की और ए.

एच.

947

आरिफ़ाबेन यूनुसभाई पटेल और ओआरएस. वी.मुकुल थाकोरभाई अमीन और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

ठाकुरभाई अमीन, प्रत्यर्थी संख्या 1 (इसके बाद आर-1 के रूप में संदर्भित), जो उक्त फर्म में भागीदार थे।मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, आर-3 ने 12 फ़्लैटों और 2 पेंटहाउसों को जारी करने के लिए आवेदन किया, जिन्हें उक्त उत्तरदाताओं पर रुपये जमा करने की अनुमति दी गई थी। 65 लाख।हालांकि, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 3 उक्त राशि जमा करने में विफल रहे।आई. डी. 1 पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने प्रतिवादियों को इस शर्त पर मुकदमा लड़ने की अनुमति दी कि वे आर-2 द्वारा दावा की गई राशि का 33 प्रतिशत जमा करेंगे।यह राशि भी जमा नहीं की गई थी।इसके बाद, रुपये की राशि के लिए एक फरमान जारी किया गया। 1,89,94,105.50, को 14.09.2004 पर आर-2 के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ पारित किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 और 3. हमने 2020 की सिविल अपील No.1643-1644 के तथ्य दिए हैं।जहाँ तक 2020 की सिविल अपील No.1647 का संबंध है, वह एक बंगले की बिक्री के विज्ञापन से संबंधित है जो 13.01.2008 पर जारी किया गया था, और बिक्री 03.03.2008 पर की गई थी।

बी.

सी.

2. उक्त आदेश दिनांक 14.09.2004 को गुजरात राज्य सहकारी न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में चुनौती दी गई थी।ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रोक नहीं दी गई थी।इस बीच, आर-2 ने सिविल जज, वडोदरा के समक्ष 01.11.2007 पर डिक्री के निष्पादन के लिए एक आवेदन दायर किया।अगले ही दिन, यानी 02.11.2007, डिक्री के निष्पादन के लिए रिसीवर की नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया गया था।न्यायालय ने उक्त आवेदन को 02.11.2007 पर ही स्वीकार कर लिया और न्यायालय के प्राप्तकर्ता को संपत्ति बेचने और 15 दिनों के भीतर न्यायालय को रिपोर्ट करने की अनुमति दी गई।आर-2 ने संपत्ति की कुर्की के लिए एक आवेदन भी दायर किया, जिस पर 02.11.2007 पर भी आदेश पारित किए गए थे। उक्त संपत्ति की नीलामी के लिए विज्ञापन 21.11.2007 पर समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था।उक्त विज्ञापन में परेशान कीमत का उल्लेख नहीं किया गया था।बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति की नीलामी 26.11.2007 पर आयोजित की गई थी, जिसमें अपीलार्थियों ने Rs.78,25,251/- की पेशकश की थी।केवल दो बोलीदाता थे और अपीलार्थियों सबसे अधिक बोली लगाने वाले थे और उन्होंने बिक्री के विचार का 25 प्रतिशत मौके पर ही जमा कर दिया।इसके बाद, 10.12.2007 R-2 ने बिक्री की पुष्टि करने की अनुमति के लिए आवेदन किया और 10.12.2007 के आदेश के माध्यम से निष्पादन न्यायालय ने न्यायालय के प्राप्तकर्ता की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और उसे निष्पादित करने की अनुमति दी।इसके बाद, रिसीवर ने स्पष्टीकरण के लिए कुछ आवेदन दायर किया और आर-3 की ओर से उपस्थित वकील ने आपत्तियां दर्ज करने के लिए समय मांगा।

डी.

ई.

एफ.

जी.

3. आपत्तियाँ दायर करने के बजाय, आर-1 ने न्यायालय की नीलामी के अनुसार 12 फ़्लैटों और 2 पेंटहाउस की बिक्री को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।यह याचिका 26.12.2007 पर दायर की गई थी।ऐसा भी प्रतीत होता है कि आर-1 निष्पादन न्यायालय के समक्ष पेश होता रहा और निष्पादन न्यायालय से आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया।शुरुआत में,

एच.

कार्यवाही पर रोक लगा दी गई लेकिन जब आर-1 ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में सी. पी. सी.) के आदेश XXI नियम 90 के तहत कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, तो 12 फ़्लैटों और 2 पेंटहाउस के संबंध में बिक्री प्रमाण पत्र निष्पादन न्यायालय द्वारा 29.02.2008 पर अपीलार्थियों के पक्ष में जारी किया गया।4. 05.03.2008 पर, आर-1 द्वारा एक बयान जारी किया गया था कि एक खरीदार तैयार है और रुपये में संपत्तियों को खरीदने के लिए तैयार है। 1. 7 करोड़।उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रस्तावित खरीदार को Rs.50 लाख की राशि जमा करने की अनुमति दी और यथास्थिति प्रदान की गई।Rs.50 लाख की यह राशि जमा की गई थी।पीड़ित, अपीलार्थियों ने एक लेटर्स पेटेंट अपील (संक्षिप्त में एल. पी. ए.) को प्राथमिकता दी और 05.03.2008 के आदेश पर दिनांकित 01.04.2008 के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई।डिवीजन बेंच के आदेश से व्यथित आर-1 ने इस न्यायालय में एसएलपी दायर की।ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच, आर-2 ने निष्पादन न्यायालय के समक्ष इस आधार पर एक आवेदन दायर किया था कि उसने अपने अधिकारी को संपत्ति बेचने के लिए अधिकृत नहीं किया था।इसलिए, आर-1 के लिए विद्वान अधिवक्ता के बयान पर, निष्पादन न्यायालय के समक्ष आर-2 द्वारा दायर आवेदन को देखते हुए एसएलपी को वापस लेने की अनुमति दी गई थी।इसके बाद, 20.06.2008 पर, आर-1 ने सी. पी. सी. के आदेश XXI नियम 90 के तहत एक आवेदन दायर किया और इस आवेदन में मुख्य शिकायत यह थी कि आर-1 या आर-3 को कोई नोटिस नहीं भेजा गया था, न तो निष्पादन याचिका या संपत्ति की कुर्की या बिक्री की घोषणा की शर्तों को निपटाने से पहले।इसके अलावा, एक और शिकायत यह थी कि संपत्ति को गिरवी रखे गए मूल्य से बहुत कम कीमत पर बेचा गया था।5. 17.07.2008 पर, आर-1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसने निष्पादन न्यायालय के समक्ष सी. पी. सी. के

आदेश XXI नियम 90 के तहत एक आवेदन दायर किया था और उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन दर्ज किया थाः-

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

“याची की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री मजूमदार ने कहा है कि बिक्री को अलग रखने के लिए आवेदन को प्राथमिकता देने में सीमा के संबंध में भी सवाल उठ सकता है।श्री संजनवाला, सुश्री सोनल शाह के साथ उपस्थित विद्वान अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता <ID1 और 8 और श्री एम. एम. सैयद, प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थी संख्या 9 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत विद्वान है कि बिक्री को अलग करने के लिए आवेदन गुण-दोष के आधार पर तय विद्वान जाए और वे सीमा के संबंध में आपत्ति नहीं उठाएंगे।श्री संजनवाला, सुश्री सोनल शाह के साथ विद्वान वरिष्ठ वकील, ए.

जी.

एच.

949

आरिफ़ाबेन यूनुसभाई पटेल और ओआरएस. वी.मुकुल थाकोरभाई अमीन और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

प्रत्यर्थी संख्या 7 और 8 की ओर से और प्रत्यर्थी संख्या 9 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद ने आज से एक सप्ताह की अवधि के लिए प्रस्तुत विद्वान है, पक्षकार यथास्थिति बनाए रखेंगे।”

6. 25.07.2008 पर पहले दायर किए गए LPA को निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया गया था।07.10.2008 पर, अपीलार्थियों ने दिनांकित 17.07.2008 आदेश में दर्ज सीमा के मुद्दे को नहीं उठाने के लिए रियायत को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया।उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया।इसके बाद, अपीलार्थियों ने 2008 की एसएलपी (सी) संख्या 26745-26746 दाखिल करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।इन याचिकाओं का निपटारा 23.03.2009 पर किया गया था, और आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः-

बी.

सी.

“...इन मामलों में, याची की ओर से जो तर्क दिया जाना चाहिए वह यह है कि निष्पादन याचिका जिसमें नीलामी बिक्री के आयोजन में धोखाधड़ी का आरोप है, समय से प्रतिबंधित थी। इस प्रश्न का निर्णय निष्पादन न्यायालय द्वारा किए जाने की आवश्यकता है।लेकिन अगर यह इस निष्कर्ष पर भी आता है कि निष्पादन के लिए आवेदन समय से प्रतिबंधित था, तो हम निष्पादन न्यायालय को अपने निष्कर्ष देने का निर्देश देते हैं कि क्या बिक्री करने में धोखाधड़ी हुई थी। सीमा के प्रश्न पर निर्णय लेते समय निष्पादन न्यायालय सीमा अधिनियम की धारा 5 और धारा 14 के दायरे और प्रयोज्यता पर भी निर्णय लेगा।

डी.

ई.

इसके बाद, मामला वापस निष्पादन न्यायालय में चला गया जिसने एक बहुत ही विस्तृत आदेश द्वारा सी. पी. सी. के आदेश XXI नियम 90 के तहत दायर आर-1 के आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद, आर-1 ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके निष्पादन न्यायालय के आदेश को चुनौती दी, जिसे विवादित आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी।आर-1 द्वारा दायर निष्पादन याचिका पर आपत्तियों को स्वीकार कर लिया गया और अपीलार्थियों के पक्ष में बिक्री को अपास्त करना दिया गया।उच्च न्यायालय ने याचिका के गुण-दोष पर गौर किया लेकिन सीमा के मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया।हालांकि उच्च न्यायालय ने देखा कि अपीलार्थियों ने सीमा की याचिका उठाई थी, लेकिन उसने इसका फैसला नहीं किया और इस संबंध में उच्च न्यायालय की टिप्पणी इस प्रकार हैः-

एफ.

“29. न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि दोनों संपत्तियों की नीलामी निर्णय-ऋणदाता को नोटिस की कमी के कारण दूषित की गई थी, और यह कि नीलामी बिक्री की वैधता के लिए एक घातक त्रुटि होने के कारण, उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में नीलामी बिक्री को बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उन्हें रद्द करना होगा।इसलिए नीलामी खरीदारों के वकील की अन्य दलीलों पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन

जी.

एच.

यह कहना पर्याप्त है कि न्यायालय निर्णय-देनदार को नोटिस के अनिवार्य प्रावधान का पालन न करने के आधार पर नीलामी बिक्री को रद्द कर रहा है।"

हम यह देखने के लिए विवश हैं कि उच्च न्यायालय ने ऊपर उद्धृत इस न्यायालय के आदेश की पूरी तरह से अनदेखी की।इस न्यायालय ने विशेष रूप से निष्पादन न्यायालय को गुण-दोष पर सीमा और आपत्तियों के मुद्दे दोनों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।यह स्पष्ट रूप से इस उद्देश्य से किया गया था कि यदि बाद में आर-1 और आर-3 के पक्ष में सीमा के मुद्दे का फैसला किया जाता है, तो मामले को मामले के गुण-दोष पर निर्णय के लिए फिर से नहीं भेजा जाना चाहिए।सीमा के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और इसका फैसला उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए था।

बी.

सी.

7. हम ध्यान दें कि प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री निखिल गोयल द्वारा यह पुरजोर आग्रह किया गया है कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना बिक्री धोखाधड़ी है, लेकिन हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि पहले हमें यह तय करना होगा कि प्रत्यर्थियों द्वारा दायर आपत्तियां समय के भीतर दायर की गई थीं या नहीं।यदि याचिका सीमा की अवधि से परे दायर की जाती है तो न्यायालय के लिए अन्य मुद्दों पर जाना आवश्यक नहीं है।

डी.

8. सी. पी. सी. का आदेश XXI नियम 90 इस प्रकार हैः-

"90. अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर बिक्री को अपास्त करना के लिए आवेदन।-

ई.

(1) जहां किसी डिक्री के निष्पादन में किसी अचल संपत्ति को बेचा गया है, वहां डिक्री धारक, या खरीदार, या परिसंपत्तियों के दर योग्य वितरण में हिस्सेदारी का हकदार कोई अन्य व्यक्ति, या जिसके हित बिक्री से प्रभावित होते हैं, उसे प्रकाशित करने या संचालित करने में भौतिक अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर बिक्री अपास्त करना करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

एफ.

(2) इसे प्रकाशित करने या संचालित करने में अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर किसी भी बिक्री को तब तक अपास्त करना नहीं किया जाएगा जब तक कि, साबित तथ्यों पर, न्यायालय का समाधान नहीं हो जाता है कि आवेदक को ऐसी अनियमितता या धोखाधड़ी के कारण पर्याप्त चोट लगी है।

जी.

(3) इस नियम के तहत बिक्री को अपास्त करना के लिए किसी भी आवेदन पर किसी भी आधार पर विचार नहीं किया जाएगा जो आवेदक उस तारीख को या उससे पहले ले सकता था जिस दिन बिक्री की घोषणा की गई थी।"

एच.

951

आरिफ़ाबेन यूनुसभाई पटेल और ओआरएस. वी.मुकुल थाकोरभाई अमीन और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

ए.

9. डिक्री के निष्पादन में बिक्री को अपास्त करना के लिए आवेदन दायर करने की सीमा सीमा अधिनियम, 1963 (संक्षेप में अधिनियम) के भाग-1, तृतीय खंड के अनुच्छेद 127 के संदर्भ में 60 दिन है।अधिनियम की धारा 5 का भी संदर्भ दिया जा सकता है जो इस प्रकार हैः-

"5. कुछ मामलों में निर्धारित अवधि का विस्तार।—किसी भी

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के प्रावधानों में से किसी के तहत आवेदन के अलावा अपील या कोई भी आवेदन निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है, यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं देने या आवेदन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था।

बी.

सी.

स्पष्टीकरण —यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक को निर्धारित अवधि का पता लगाने या गणना करने में उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश, व्यवहार या निर्णय से गुमराह किया गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण हो सकता है।"

इस प्रावधान को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अधिनियम की धारा 5 जो समय के विस्तार या देरी की माफी से संबंधित है, सी. पी. सी. के आदेश XXI नियम 90 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होती है। इसलिए, अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी, यदि कोई हो, को माफ नहीं किया जा सकता है।

डी.

10. यह हमें अधिनियम की धारा 14 पर ले जाता है, जो इस प्रकार हैः-

ई.

“14. न्यायालय में ईमानदारी से कार्यवाही करने के समय का बहिष्कार

क्षेत्राधिकार के बिना।—(1) किसी भी वाद के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में उस समय के दौरान जिसके दौरान वादी उचित परिश्रम के साथ अभियोजन कर रहा है, प्रतिवादी के खिलाफ एक अन्य दीवानी कार्यवाही, चाहे वह पहली बार की न्यायालय में हो या अपील या संशोधन की, को बाहर रखा जाएगा, जहां कार्यवाही उसी मुद्दे से संबंधित है और उस न्यायालय में सद्भावना से मुकदमा चलाया जाता है जो अधिकार क्षेत्र के दोष या समान प्रकृति के अन्य कारण से इसे स्वीकार करने में असमर्थ है।

एफ.

जी.

(2) किसी भी आवेदन के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, उस समय के दौरान जिसके दौरान आवेदक उसी राहत के लिए उसी पक्षकार के खिलाफ किसी अन्य दीवानी कार्यवाही, चाहे वह पहली बार की न्यायालय में हो या अपील या संशोधन की, पर उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चला रहा है, को बाहर रखा जाएगा, जहां ऐसी कार्यवाही पर किसी ऐसे न्यायालय में सद्भावना से मुकदमा चलाया जाता है जो -

एच.

अधिकारिता या समान प्रकृति का अन्य कारण, इसे स्वीकार करने में असमर्थ है।

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XXIII के नियम 2 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उप-धारा (1) के प्रावधान उस आदेश के नियम 1 के तहत न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति पर स्थापित एक नए मुकदमे के संबंध में लागू होंगे, जहां ऐसी अनुमति इस आधार पर दी गई है कि पहला मुकदमा न्यायालय की अधिकारिता में किसी दोष या समान प्रकृति के अन्य कारण से विफल होना चाहिए।

बी.

स्पष्टीकरण —इस धारा के प्रयोजनों के लिए, (ए) उस समय को छोड़कर जिसके दौरान एक पूर्व दीवानी कार्यवाही लंबित थी, जिस दिन वह कार्यवाही शुरू की गई थी और जिस दिन यह समाप्त हुई थी, दोनों को गिना जाएगा;

सी.

(ख) अपील का विरोध करने वाले वादी या आवेदक को कार्यवाही का अभियोजन करने वाला माना जाएगा।

डी.

(ग) पक्षकारों की गलती या कार्रवाई के कारणों को अधिकार क्षेत्र के दोष के साथ समान प्रकृति का कारण माना जाएगा।"

इस धारा के संदर्भ में आवेदक द्वारा अन्य दीवानी कार्यवाहियों पर उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चलाने के लिए बिताए गए समय को बाहर रखा जा सकता है यदि ऐसी कार्यवाहियों पर किसी ऐसे न्यायालय में सद्भावना से मुकदमा चलाया जाता है जो अधिकार क्षेत्र के दोष या अन्य कारण से इसे स्वीकार करने में असमर्थ है।

ई.

11. जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, आर-1 द्वारा यह भी विवादित नहीं है कि उसे 18.12.2007 पर बिक्री के बारे में जानकारी थी जब आर-3 की ओर से पेश वकील ने सीपीसी के आदेश XXI नियम 90 के तहत आपत्ति आवेदन दायर करने की अनुमति मांगी थी। रिट याचिका 26.12.2007 पर दायर की गई थी।21.04.2008 पर, आर-1 ने इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी को इस आधार पर वापस ले लिया कि आर-2 द्वारा 18.03.2008 पर निष्पादन न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है।रिट याचिका को ही 17.07.2008 पर खारिज कर दिया गया था।आर-1 की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि चूंकि रिट याचिका का निपटारा 17.07.2008 पर किया गया था और निष्पादन याचिका पर आपत्ति 20.06.2008 पर दायर की गई थी, इसलिए यह सीमा के भीतर है।

एफ.

जी.

12. हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।अधिनियम की धारा 14 के लाभ का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति केवल उस अवधि के अपवर्जन का दावा कर सकता है जिसके लिए वह उचित ए के साथ किसी अन्य उपाय पर मुकदमा चला रहा था।

एच.

953

आरिफ़ाबेन यूनुसभाई पटेल और ओआरएस. वी.मुकुल थाकोरभाई अमीन और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे.]

लगन और अच्छे विश्वास के साथ।प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि रिट याचिका सद्भावना से या उचित परिश्रम से दायर की गई थी क्योंकि आर-3 के वकील ने

एक बयान दिया था कि वह निष्पादन याचिका पर आपत्तियां दायर करेंगे।हालाँकि, यह मानते हुए कि ये कार्यवाही सद्भावना से दायर की गई थी, इस न्यायालय के समक्ष 21.04.2008 पर एक बयान दिए जाने के बाद, R-1 को तुरंत निष्पादन न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करना चाहिए था।उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रखने के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह न तो सद्भावना से किया गया था और न ही उचित परिश्रम के साथ किया गया था।13. भले ही हम आर-1 के मामले को स्वीकार करते हैं, सबसे अच्छा, 26.12.2007 से 21.04.2008 तक की अवधि को बाहर रखा जा सकता है।अगर हम उस अवधि को छोड़ दें तो हमारे पास दिसंबर में 7 दिन, अप्रैल में 9 दिन, मई में 31 दिन और जून में 19 दिन हैं।इस प्रकार, आदेश पारित होने के सभी दिनों का लाभ देने से आर-1 और आर-3 को भी सी. पी. सी. के आदेश XXI नियम 90 के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए 6 दिनों तक की सीमा से रोक दिया जाएगा।चूंकि इस तरह की देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए याचिकाओं को समय की पाबंदी के कारण खारिज करना पड़ा।इसलिए, इस छोटे से आधार पर अपीलों की अनुमति दी जानी चाहिए।

बी.

सी.

डी.

14. तदनुसार, हम अपीलों को स्वीकार करते हैं और 2010 के विशेष नागरिक आवेदन संख्या 3166 में उच्च न्यायालय के दिनांकित 07/08.11.2008 के फैसले को अपास्त करनाते हैं और 2007 की विशेष याचिका संख्या 81 में दिनांकित 23.02.2010 के निष्पादन न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हैं।इस फैसले को ध्यान में रखते हुए, 2020 की अवमानना याचिका (सिविल) No.63 का भी निपटारा किया जाता है।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

ई.

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

एफ.

जी.

एच.